अध्याय I

सेवा कर प्रशासन

1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करने के द्वारा एकत्रित सभी ऋण, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण और ऋणों की वापसी में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन शामिल होते हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर से राजस्व प्राप्तियों से बने हैं। निम्नलिखित तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष (वि व) 15 एवं वि व 14 के संसाधनों का सार चित्रित करती हैं।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन

(₹ करोड़ में)

	वि व 15	वि व 14
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	16,66,717	15,36,024
i. *प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां*	6,95,792	6,38,596
ii. *अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां*	5,49,343	5,00,400
iii. *गैर कर प्राप्तियां*	4,19,982	3,93,410
iv. *सहायता अनुदान एवं अंशदान*	1,600	3,618
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियां[1]	37,740	29,368
ग. कर्जे तथा अग्रिमों[2] की वसूली	26,547	24,549
घ. लोक ऋण प्राप्तियां[3]	42,18,196	39,94,966
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	**59,49,200**	**55,84,907**

स्रोत: संबंधित वर्षों के संबंधित लेखे

नोट: कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को सीधे अभ्यर्पित प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की निवल आय का भाग वि व 15 में ₹ 3,37,808 करोड़ और वि व 14 में ₹ 3,18,230 करोड़ शामिल है।

संघ सरकार की कुल प्राप्तियों में वि व 14 में ₹ 55,84,907 करोड़ से वि व 15 में ₹ 59,49,200 करोड़ तक की वृद्धि हुई। वि व 15 में इसकी स्वयं की

[1] इसमें बोनस शेयर का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों का विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियां शामिल है।

[2] संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की वूसली

[3] भारत सरकार द्वारा आंतरिक रूप के साथ-साथ बाह्रय रूप से उधारियां

प्राप्तियां ₹ 16,66,717 करोड़ थी जिनमें ₹ 12,45,135 करोड़ की सकल कर प्राप्तियां शामिल है।

1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

अप्रत्यक्ष कर माल/सेवाओं की आपूर्ति की लागत से संबंध हैं और इस अर्थ में व्यक्ति विशेष की अपेक्षा लेन-देन विशेष हैं। संसद के अधिनियमों के अन्तर्गत उद्ग्रहीत प्रमुख अप्रत्यक्ष कर/शुल्क निम्न हैं:

क) **सेवा कर:** सेवा कर योग्य क्षेत्र के अन्दर दी गई सेवाओं पर सेवा कर उदग्रहीत किया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 97)। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दी गई सेवाओं पर सेवा कर एक कर है। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66 बी परिकल्पना करती है कि ऋणात्मक सूची में निर्दिष्ट सेवाओं के अतिरिक्त एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को कर योग्य क्षेत्र में दी गई अथवा दिए जाने के लिए सहमत सभी सेवाओं के मूल्य पर 12 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहीत कर होगा और ऐसी रीति में संग्रहीत होगा जैसा निर्धारित[4] किया जाए। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के लिए की गई के महत्व (उनमें वर्जित मदों के अतिरिक्त) के किसी कार्यकलाप के अर्थ के लिए और घोषित सेवा[5] शामिल करने के लिए वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65बी (44) में "सेवा" परिभाषित की गई है।

ख) **केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क:** केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भारत में माल के विनिर्माण अथवा उत्पादन पर उद्ग्रहीत किया जाता है। मानव खपत हेतु मादक शराब, अफीम, भारतीय गांजा और अन्य स्वापक दवा और मादक पदार्थों को छोड़कर परन्तु चिकित्सीय तथा अल्कोहल, अफीम आदि वाले प्रसाधन सम्पाकों सहित भारत में विनिर्मित अथवा उत्पादित तम्बाकू तथा अन्य माल पर उत्पाद शुल्क उद्ग्रहीत करने की संसद को शक्तियां हैं (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84)।

---

[4] 1 जुलाई 2012 से वित्त अधिनियम 2012 द्वारा सम्मिलित धारा 66बी, धारा 66 डी में मदों की सूची है जो ऋणात्मक सूची से बनी है।

[5] वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ई घोषित सेवाओं की सूची देती है।

ग) **सीमा शुल्क:** भारत में माल के आयात और भारत से बाहर कुछ माल के निर्यात पर सीमा शुल्क उद्ग्रहीत किया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83)

1.3 संगठनात्मक ढॉंचा

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करता है और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अधीन गठित दो सांविधिक बोर्डों नामत:, केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित मामलों का समन्वय करता है। सेवा कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण से संबंधित मामलों की सीबीईसी द्वारा जांच की जाती है।

अप्रत्यक्ष कर कानूनों को सीबीएसी के क्षेत्रीय कार्यालयों, कार्यकारी कमिश्नरियों, द्वारा शासित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए देश को मुख्य कमिश्नर की अध्यक्षता में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के 27 जोनों मे बांटा गया है। सीबीईसी के क्षेत्रीय संरूपणों की पुनसंरचना और पुनर्गठन अगस्त 2014 में किया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के 27 जोनों के अंतर्गत कमिश्नर की अध्यक्षता में 83 समन्वित कार्यकारी कमिश्नियां, 36 विशिष्ट केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यकारी कमिश्नरियां और 22 विशिष्ट सेवा कर कार्यकारी कमिश्नरियां है। डिवीजन और रेंज अगले संरंचनाएं हैं जिनकी अध्यक्षता क्रमश: उप/सहायक कमिश्नर और अधीक्षक द्वारा की जाती है। इन कार्यकारी कमिश्नरियों के अलावा आठ बड़ी करदाता यूनिटें (एलटीयू) कमिश्नरियां 60 अपील कमिश्नरियां, 45 लेखापरीक्षा कमिश्नरियां और विशिष्ट कार्यों से संबंधित 20 महानिदेशालय/निदेशालय है।

31 मार्च 2015 को सीबीईसी की समग्र संस्वीकृत स्टाफ संख्या 86,828 है। सीबीईसी का संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ट I में दर्शाया गया है।

इस अध्याय में वित्त लेखों, विभागीय लेखों और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध संबंधित डाटा का उपयोग करते हुए सेवा कर में प्रवृतियों, संघटन और प्रणालीगत मुद्दों पर चर्चा की गई है।

1.4 अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि-प्रवृत्तियां तथा संघटन

तालिका 1.2 वि व 11 से वि व 15 के दौरान अप्रत्यक्ष करों की सापेक्ष वृद्धि चित्रित करती है।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	अप्रत्यक्ष कर जीडीपी की % के रूप में	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व की % के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि व 11	3,45,371	77,95,314	4.43	7,93,307	43.54
वि व 12	3,92,674	90,09,722	4.36	8,89,118	44.16
वि व 13	4,74,728	99,88,540	4.75	10,36,460	45.80
वि व 14	4,97,349	1,13,45,056	4.38	11,38,996	43.67
वि व 15	5,46,214	1,25,41,208	4.36	12,45,135	43.87

स्रोत: संघ वित लेखें

यह देखने में आया है कि जीडीपी के अनुपात के रूप में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण वि व14 की तुलना में वि व 15 में कम हो गया हे, जबकि सकल कर राजस्व के अनुपात के रूप में यह बढा है।

1.5 अप्रत्यक्ष कर – सापेक्ष अंशदान

तालिका 1.3 वि व 11 से वि व 15 तक की अवधि के लिए जीडीपी के अनुपात में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर संघटकों की समद्देही चित्रित करती है।

तालिका 1.3: अप्रत्यक्ष कर जीडीपी की प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	एसटी राजस्व	जीडीपी के % के रूप में एसटी राजस्व	के.उ.शु राजस्व	जीडीपी की % के रूप में के.उ.शु राजस्व	एसटी राजस्व	जीडीपी के % रूप में सीमा शुल्क राजस्व
वि व 11	77,95,314	71,016	0.91	1,37,701	1.77	1,35,813	1.74
वि व 12	90,09,722	97,509	1.08	1,44,901	1.61	1,49,328	1.66
वि व 13	99,88,540	1,32,601	1.33	1,75,845	1.76	1,65,346	1.66
वि व 14	1,13,45,056	1,54,780	1.36	1,69,455	1.49	1,72,085	1.52
वि व 15	1,25,41,208	1,67,969	1.34	1,89,038	1.51	1,88,016	1.50

स्रोत : कर प्राप्तियों के आंकडे संबंधित वर्षों के संघ वित लेखों के अनुसार हैं।

अप्रत्यक्ष करों के मध्य, जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर राजस्व में पिछले चार वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी हुई है, हालांकि वि व 15 के दौरान इसमें थोड़ी कमी आई। उसी अवधि के दौरान जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क राजस्व ने ने गिरावट का रूझान दर्शाया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क ने वि व 14 की तुलना में वि व 15 में थोड़ा सुधार दर्शाया।

मुख्य अप्रत्यक्ष करों के सापेक्ष राजस्व अंशदान को **चार्ट** 1.1 में दर्शाया गया है।

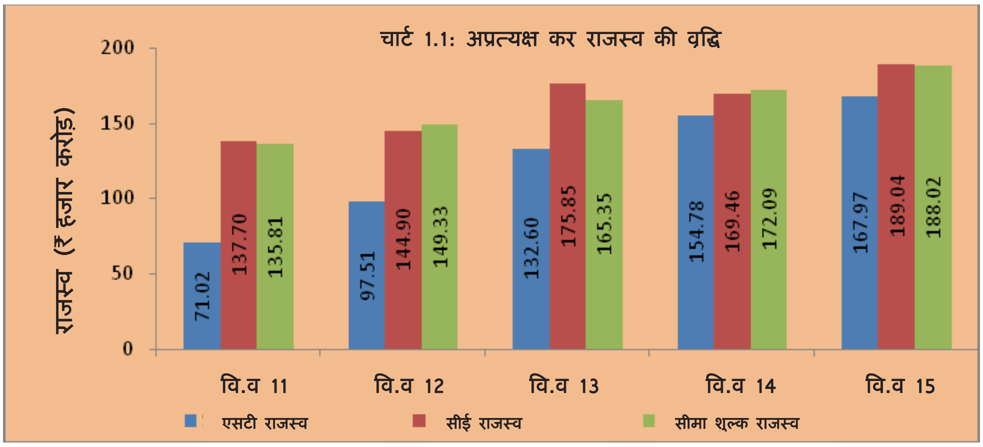

1.6 सेवा कर की वृद्धि- प्रवृत्तियां एवं संरचना

तालिका 1.4 वि व 11 से वि व 15 के दौरान सम्पूर्ण और जीडीपी के संबंध में सेवा कर की वृद्धि प्रवृत्तियों को चित्रित करती है।

तालिका 1.4: सेवा कर की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	सकल कर राजस्व	सकल अप्रत्यक्ष कर	सेवा कर	जीडीपी के % रूप में सेवा कर	सकल कर राजस्व के % के रूप में सेवा कर	अप्रत्यक्ष कर के % के रूप में सेवा कर
वि व 11	77,95,314	7,93,307	3,45,371	71,016	0.91	8.95	20.56
वि व 12	90,09,722	8,89,118	3,92,674	97,509	1.08	10.97	24.83
वि व 13	99,88,540	10,36,460	4,74,728	1,32,601	1.33	12.79	27.93
वि व 14	1,13,45,056	11,38,996	4,97,349	1,54,780	1.36	13.59	31.12
वि व 15	1,25,41,208	12,45,135	5,46,214	1,67,969	1.34	13.49	30.75

स्रोत: कर प्राप्तियों के ऑकड़े संबंधित वर्षों के संबंधित वित लेखों के अनुसार है।

जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर राजस्व ने वि व 15 को छोड़कर अवधि के दौरान बढती प्रवृति दर्शाई है। वि व 15 के दौरान समग्र सेवा कर का योगदान सकल कर राजस्व का 13.49 प्रतिशत है। सकल कर राजस्व और कुल अप्रत्यक्ष करों में सेवा कर हिस्सा तीव्रता से बढ़ रहा है। सेवा क्षेत्र की वृद्धि 2014-15 में 10.6 प्रतिशत तक बढ़ गई जबकि 2013-14[6] में यह 9.1 प्रतिशत पर थी। यह मुख्यत: वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाओं में 7.9 प्रतिशत से 13.7 प्रतिशत तक की वृद्धि के कारण है।

1.7 प्रमुख सेवा श्रेणियों से सेवा कर

तालिका 1.5 सेवाओं की शीर्ष पाँच श्रेणियों से संग्रहीत सेवा कर चित्रित करती है।

तालिका 1.5: प्रमुख सेवा श्रेणियों से सेवा कर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वि व11	वि व12	वि व13	वि व14	वि व 15
दूर संचार	3,902	5,402	7,538	12,643	13,531
सामान्य बीमा प्रीमियम	3,877	5,234	6,321	8,834	9,263
श्रमबल भर्ती	2,870	3,847	4,432	7,335	9,045
कारबार सहायक सेवाएं	2,689	4,345	4,368	7,118	8,415
कार्य ठेका	3,092	4,179	4,455	7,434	8,139

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखें।

यह देखा गया कि सेवा कर संग्रहण के लिए दूर संचार तथा सामान्य बीमा प्रीमियम सेवाओं का शिखर पर होना जारी है। यह भी देखा गया कि श्रमबल भर्ती और कारबार सहायक सेवा शीर्ष राजस्व दायक सेवाओं के मध्य वि व 15 में तीसरे और चौथे स्थान पर आ गए थे।

पाई चार्ट 1.2 वि व. 15 के दौरान प्रमुख सेवाओं के समग्र अंशदान को चित्रित करता है।

---

[6] आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 का पैरा 7.11

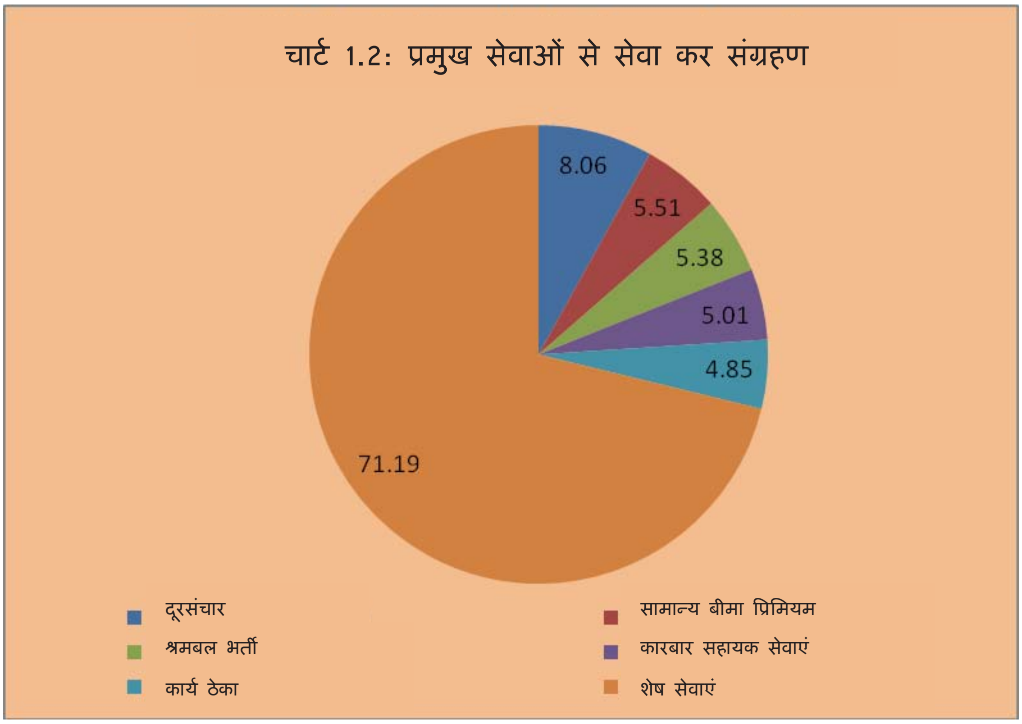

यह देखा गया कि पाँच शिखर श्रेणी सेवाओं ने सकल सेवा कर संग्रहण में 29 प्रतिशत योगदान किया।

1.8 कर आधार

"निर्धारिती" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो सेवा कर भुगतान करने का दायी है और वित्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की धारा 65 (7) में परिभाषा के अनुसार उसके एजेंट को शामिल करता है। तालिका 1.6 वित्त अधिनियम 1994 की धारा 69 के अन्तर्गत सेवा कर विभाग के पास पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या का डाटा (वि व 11 से वि व 15 तक से संबंधित) चित्रित करती है।

तालिका 1.6: सेवा कर में कर आधार

वर्ष	कर योग्य सेवाओं की संख्या	एसटी पंजीकरणों की संख्या	पूर्व वर्ष से वृद्धि %	निर्धारितियों की संख्या जिन्होने विवरणी दाखिल की	पंजीकरण करने वालों की % जिन्होंने विवरणी फाइल की
वि व 11	117	15,52,521		1,90,410	12.26
वि व 12	119	17,52,479	12.88	7,29,129	41.61
वि व 13	सभी*	19,82,297	13.11	8,54,831	43.12
वि व 14	सभी*	22,58,599	13.94	9,83,969	43.57
वि व 15	सभी*	25,11,728	11.21	10,50,760	41.83

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े। पैरा 1.21 में डाटा विसंगति पर टिप्पणी

*ऋणात्मक सूची के अतिरिक्त ।

यह देखा गया कि पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या के साथ-साथ विवरणी फाइल करने वाले निर्धारितियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। तथापि, विवरणी फाइल करने वाले पंजीकृत निर्धारितियों का प्रतिशत 41 से 43 प्रतिशत तक लगभग स्थिर बना रहा। मंत्रालय के उक्त के लिए कारणों का पता लगाने की आवश्यकता है।

<u>स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना, 2013:</u>

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट 2013 भाषण में बताया कि सेवा कर के अंतर्गत लगभग 17,00,000 पंजीकृत निर्धारिती है और केवल लगभग 7,00,000 विवरणी फाइल करते है और कई ने ऐसे ही विवरणी फाइल करना बंद कर दिया है। ऐसा कहते हुए उन्होंने उन पंजीकृत निर्धारितियों, जिन्होंने विवरणी फाइल करनी बंद कर दी, की विवरणी फाइल करने और कर देयताओं के भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना, 2013' (वीसीईएस) नामक एक बार की योजना शुरू करने के लिए प्रस्ताव रखा। यह योजना 10 मई 2013 से प्रभावी हो गई और 31 दिसंबर, 2013 तक लागू थी। 66,072 निर्धारितियों द्वारा वीसीईएस के अंतर्गत ₹ 7,750.30 करोड़ की राशि घोषणा की गई। किंतु, जैसाकि तालिका 1.6 से देखा जा सकता है उन पंजीकृत निर्धारितियों की प्रतिशतता में कोई सुधार नहीं था जो विवरणी फाइल करते थे। इसके विपरीत, पंजीकरण करने वालों की प्रतिशतता, जो विवरणी फाइल करते है, वि व 13 और वि व 14 में क्रमश: 43.12 प्रतिशत से 43.57 प्रतिशत से वि व 15 में घटकर 41.83 हो गई।

1.9 सेवा कर में बजटीय मामलें

तालिका 1.7 सेवा कर प्राप्तियों के बजट प्राक्कलन और तदनुरूपी वास्तविक आंकड़ों की तुलना को दर्शाती है।

तालिका 1.7: बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक तथा बीई के बीच अन्तर	वास्तविक तथा बीई के बीच % ता अन्तर	वास्तविक तथा आरईके बीच % ता अन्तर
वि व 11	68,000	69,400	71,016	3,016	4.44	2.33
वि व 12	82,000	95,000	97,509	15,509	18.91	2.64
वि व 13	1,24,000	1,32,697	1,32,601	8,601	6.94	(-)0.07
वि व 14	1,80,141	1,64,927	1,54,780	(-)25,361	(-)14.08	(-)6.15
वि व 15	2,15,973	1,68,132	1,67,969	(-)48,004	(-)22.23	(-)0.10

स्रोत: संघ वित्त लेखे तथा संबंधित वर्षों के प्राप्ति बजट दस्तावेज

यह पाया जाता है कि सेवा कर वास्तविक संग्रहण वि व 15 के दौरान 22.23 प्रतिशत तक बजट अनुमानों से कम रहा। यह भी देखा गया कि सेवा कर का वास्तविक संग्रहण पिछले वर्ष 6.15 प्रतिशत की तुलना में केवल 0.10 की कमी दर्ज करते हुए वि व 15 में संशोधित बजट अनुमान के लगभग बराबर था।

1.10 वित्त अधिनियम 1994 के अन्तर्गत छोड़ा गया सेवा कर

बजट दस्तावेजों के पठन से पता चला कि प्रत्यक्ष कर तथा अन्य अप्रत्यक्ष करों जैसे केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा –शुल्क के लिए छोड़े गए राजस्व के ब्यौरे 2006-07 के बजट से आरंभ कर संबंधित बजट के दौरान प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। तथापि सेवा कर के संबंध में छोड़ा गया राजस्व बजट दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014 की सं. 6 के पैराग्राफ 1.12 में उल्लिखित समान मामले के उत्तर में मंत्रालय ने उत्तर दिया कि पर्याप्त डाटा अनुरक्षित नहीं किया जा रहा है।

इसी विषय की अपनी तीसरी रिपोर्ट में कर प्रशासन सुधार आयोग द्वारा जांच की गई थी और इसकी तीसरी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि सेवा कर के लिए विभाग को छोड़े गए राजस्व के प्राक्कलन के लिए उपायों पर विचार करना चाहिए और एक अंतर विश्लेषण करना चाहिए।

अक्तूबर 2011 से सेवा कर विवरणी के अनिवार्य ई फाइलिंग के परिणामत: विभाग सेवा कर के संबंध में छोड़ा गया राजस्व विवरण तैयार करने पर विचार करे।

1.11 व्यापार सरलीकरण

1.11.1 बड़ी करदाता इकाईयों (एलटीयू) का सृजन

व्यापार सुविधा के लिए विभाग ने एलटीयू का गठन किया है। एक एलटीयू केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, आयकर तथा निगम कर से संबंधित सभी मामलों के लिए एकल खिड़की निर्बाधन केन्द्र के रूप में कार्य करने वाला राजस्व विभाग के अधीन स्वत: पूर्ण कर कार्यालय है। पात्र कर दाता जो एलटीयू में निर्धारण का विकल्प देते हैं, ऐसे एलटीयू में अपनी उत्पाद विवरणी, प्रत्यक्ष कर विवरणियां तथा सेवा कर विवरणी फाइल करने के पात्र होंगे और सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए उनके अन्तर्गत सभी इन करों को निर्धारित किए जाएंगे। ये यूनिटें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर/शुल्क भुगतान, दस्तावेजों तथा विवरणियों को फाइल करने, बट्टा/प्रतिदायों के दावे, विवादों का निपटान आदि से संबंधित सभी मामलों में कर दाताओं सहायता करने के लिए आधुनिक सुविधाओं तथा प्रशिक्षित जनशक्ति से सज्जित किए जा रहे हैं। व्यापार सरलीकरण के लिए आठ एलटीयू स्थापित किए गए हैं।

1.11.2 केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर का स्वचलन

केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर (एसीईएस) का स्वचलन केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा ई-गवर्नेंस पहल है। यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के अन्तर्गत भारत सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) में से एक है1 यह एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है जिसका उद्देश्य भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में करदाता सेवाएं, पारदर्शिता, जबावदेही तथा दक्षता सुधारना है। यह अनुप्रयोग वेब आधारित तथा वर्कफ्लो आधारित प्रणाली है जिसने केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर में सभी प्रमुख कार्यविधियों को स्वचालित किया है।

1.12 सेवा कर का बकाया

उपचित परन्तु वसूल न किए गए राजस्व की वसूली की विभिन्न विधियों का कानून प्रावधान करती है। इसमें व्यक्ति जिससे राजस्व वसूली योग्य है, को देय राशियों, यदि कोई हो, के प्रति समायोजन करना, उत्पाद शुल्क योग्य माल की कुर्की तथा बिक्री द्वारा वसूली और जिला राजस्व अधिकारी के माध्यम से वसूली शामिल होते हैं।

तालिका 1.8 बकाया राजस्व की वसूली के संबंध में विभाग का निष्पादन चित्रित करती है।

तालिका 1.8 बकाया वसूली – सेवा कर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के आरंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान संग्रहण	वर्ष के आरंभ में बकाया के % के रूप में संग्रहण
वि व 13	45,609	5,836	12.80
वि व 14	69,863	7,311	10.46
वि व 15	76,928	901	1.17

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकडे। पैरा 1.21 में डाटा त्रुटि पर टिप्पणी।

यह चिन्ता का विषय है कि वि व 15 के दौरान बकाया के अनुपात के रूप में संग्रहण वि व 14 में 10.46 प्रतिशत की तुलना में 1.17 प्रतिशत तक प्रबल रूप से कम हो गया है। यद्यपि, बकाया के संग्रहण के गिरावट अनुपात पर लेखापरीक्षा द्वारा बार-बार संकेत किया गया है, सुधार के कोई संकेत नहीं है। विभाग के वसूली तंत्र की सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

1.13 अपवंचन रोधी उपायों के कारण अतिरिक्त राजस्व वसूली

उत्पाद शुल्क महानिदेशक (आसूचना) (डीजीसीईआई) के साथ-साथ उत्पाद शुल्क और सेवा कर कमिश्नरी सेवा कर के अपवंचन के मामलों को खोजने के कार्य में सुपरिभाषित भूमिकाएं रखते हैं। जबकि अपने क्षेत्राधिकार में यूनिटों के बारे में अपने व्यापक डाटाबेस तथा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के साथ कमिश्नरियाँ शुल्क अपवंचन के विरूद्ध रक्षा की पहली पंक्ति में हैं वहीं पर्याप्त राजस्व के अपवंचन के बारे में विशेष आसूचना संग्रहीत करने में डीजीसीईआई की विशेषता है। ऐसे संग्रहीत आसूचना कमिश्नरियों में बांटी

जाती है। अखिल भारतीय शाखाओं वाले मामलों में डीजीसीईआई द्वारा जांच भी की जाती है।

तालिका 1.9 (क) गत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई का निष्पादन चित्रित करती है।

तालिका 1.9(क): गत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई का अपवंचन रोधी निष्पादन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खोज		जांच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान
	मामलों	राशि	
वि व 13	835	5,131	880
वि व 14	1,191	8,032	1,489
वि व 15	806	5,703	1,420

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

यह पाया जाता है कि सेवा कर मामलों की संख्या और डीजीसीईआई द्वारा खोजी गई राशियां वि व 14 की तुलना में वि व 15 के दौरान पर्याप्त रूप से घटी है। तालिका 1.9 (ख) गत तीन वर्षों के दौरान कमिश्नरियों का निष्पादन चित्रित करती है।

तालिका 1.9(ख): गत तीन वर्षों के दौरान कमिश्नरियों का अपवंचन रोधी निष्पादन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खोज		जांच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान
	मामलों की संख्या	राशि	
वि व 13	5,875	7,827	2,819
वि व 14	8,024	6,810	3,614
वि व 15	5,648	4,138	3,132

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

यह पाया जाता है कि कमिश्नरियों द्वारा खोजे गए मामलों की संख्या और राशि वि व 14 की तुलना में वि व 15 के दौरान लगातार घटी है।

सेवा कर में कर प्रशासन

1.14 विवरणियों की संवीक्षा

सीबीईसी ने 2001 में सेवा कर के संबंध में स्वनिर्धारण की संकल्पना लागू की। स्वनिर्धारण लागू करने के साथ विभाग ने अन्य बातों के साथ विवरणियों की संवीक्षा के माध्यम से सशक्त अनुपालन सत्यापन तंत्र का प्रावधान भी परिकल्पित किया। स्वनिर्धारण काल में भी विभागीय अधिकारियों का कार्य निर्धारण अथवा निर्धारण की पुष्टि किया जाना जारी है क्योंकि ये वे हैं जो कर भुगतान[7] की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक देयता रखते हैं। यह सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा के माध्यम से किया जाता है जो आगे जोखिम प्राचलों के आधार पर चयन किए जाते हैं। सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा की नियमपुस्तक 2009 परिकल्पना करती है कि संवीक्षा दो चरणों, अर्थात विवरणी की प्राथमिक संवीक्षा, जो एसीईएस अनुप्रयोग द्वारा की जानी है और निर्धारण की विस्तृत संवीक्षा जो एसीईएस द्वारा अथवा अन्यथा द्वारा चिन्हित विवरणियों पर मानवीय रूप से की जानी है, में की जानी है।

1.14.1 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

प्राथमिक संवीक्षा का उद्देश्य सूचना की पूर्णता, विवरणी का समय से प्रस्तुतीकरण शुल्क का समय से भुगतान, शुल्क के रूप में संगणित राशि की गणितीय यथार्थता और फाइल न करने वालों और फाइल करना बंद करने वालों[8] की पहचान सुनिश्चित करना है।

तालिका 1.10 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा करने में विभाग का निष्पादन चित्रित करती है।

---

[7] सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा की नियम पुस्तक 2009 पैरा 1.2.1 क

[8] सेवा कर विवरणियों की नियम पुस्तक 2009, पैरा 1.2.1

तालिका 1.10 सेवा कर विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

वर्ष	एसीईएस में दाखिल विवरणियों की सं.	आरएण्डसी हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या	आरएण्डसी हेतु चिन्हित विवरणियों का %	आरएण्डसी के बाद मुक्त विवरणियों की संख्या	आरएण्डसी हेतु लंबित विवरणियों की संख्या	सुधार लंबित चिन्हित विवरणियों का %
वि व 13	21,75,169	11,20,695	51.52	3,17,383	8,03,312	71.68
वि व 14	17,98,773	6,28,512	34.94	70,146	5,58,366	88.84
वि व 15	19,57,446	5,90,250	30.15	81,307	5,08,943	86.22

स्रोतः मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े। पैरा 1.21 में डाटा त्रुटि पर टिप्पणी।
*आर एवं सी का अर्थ है समीक्षा एवं सुधार

एसीईएस द्वारा समीक्षा एवं सुधार (आरएण्डसी) हेतु चिन्हित विवरणियों की प्रतिशतता वि व 15 में 30.15 प्रतिशत तक प्रबल रूप से कम हो गई जो एक स्वस्थ संकेत है और एसीईएस की स्थिरीकरण दर्शाता है और इसे आगे ले जाने की आवश्यकता है।

यह भी देखा गया कि जहाँ पंजीकृत निर्धारितियों[9] की संख्या बढ़ी है एसीईएस पर फाइल की गई विवरिणीयों की संख्या वि व 13 की तुलना में वि व 15 में घटी है। मंत्रालय इसके कारणों को देख सकता है।

वि व 13 की तुलना में आर एंड सी के लिए चिन्हित विवरिणायों की संख्या और प्रतिशत में बहुत अधिक घटौती के बावजूद यह भी पाया जाता है कि आर एंड सी हेतु चिन्हित 86.22 प्रतिशत विवरणियां 31 अक्तुबर 2015 को लंबित थीं। ऑनलाइन प्राथमिक संवीक्षा लागू करने के पीछे एक मुख्य उद्देश्य विस्तृत मानवीय संवीक्षा हेतु जनशक्ति निर्मुक्त करना था जो तब रेंज/ग्रुप[10] का मुख्य कार्य बन सकेगा, आर एंड सी पहचान के बाद सुधार हेतु लम्बन की उच्च संख्याए दर्शाती हैं कि वे प्राप्त किए जाने से काफी दूर हैं।

एसीईएस में विवरणियों के आरएण्डसी का समापन निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत बाद की विवरणियों की संवीक्षा के लिए पूर्व अपेक्षा है। विवरणियों की बड़ी संख्या संवीक्षा हेतु लंबित थीं जिसमें सेवा कर संग्रहण की सत्यता का जोखिम है।

---

[9] तालिका 1.6 में डाटा

[10] सेवा कर विवरणियों की नियम पुस्तक 2009, पैरा 1.2.ख

1.14.2 विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

विस्तृत संवीक्षा का उद्देश्य कर विवरणी में भेजी गई सूचना की वैधता स्थापित करना और मूल्यांकन, सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करना, छूट अधिसूचना की स्वीकार्यता को ध्यान में रखने के बाद प्राप्त वर्गीकरण तथा कर की प्रयुक्त प्रभावी दर आदि[11] की सत्यता सुनिश्चित करना है। प्राथमिक संवीक्षा कर दाताओं[12] द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में भेजी गई सूचना से विकसिक जोखिम प्राचलों के आधार पर अभिज्ञात केवल कुछ चयनित विवरणियों को कवर करना है।

तालिका 1.11 विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा करने में विभाग का निष्पादन चित्रित करती है।

तालिका 1.11 सेवा कर विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

वर्ष	विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या	विवरणियों की संख्या जहाँ विस्तृत संवीक्षा की गई थी	विवरणियों की संख्या जहाँ विस्तृत संवीक्षा लंबित थी	लम्बन का समय वार विश्लेषण		
				छः माह से एक वर्ष के बीच	एक तथा दो वर्ष के बीच	2 वर्षों से अधिक
वि व 13	23,838	2,743	21,095	19,791	934	370
वि व 14	44,045	16,201	27,844	12,974	5,174	17,636
वि व 15	*					

स्रोत: *मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े विस्तृत संवीक्षा के विषय में नहीं है।

निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार विस्तृत सवीक्षा[13] में केवल दो प्रतिशत विवरणियों की जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए सम्पूर्ण वर्ष में संवीक्षा की जानेवाली विवरणियों की कुल संख्या किसी रेंज के संबंध में काफी कम होगी क्योंकि विस्तृत संवीक्षा के लिए चिन्हित मामलों की कुल संख्या 31 मार्च 2014 को सभी रेजों (2,272) में केवल 44,045 थी।

यह चिन्ता का कारण है कि विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों की बड़ी संख्या (27,844) 31 मार्च 2014 को लंबित थी क्योंकि गबन के मामलों के

---

[11] सेवा कर विवरणियों की नियम पुस्तक 2009, पैरा 1.2.1

[12] सीबीईसी परिपत्र 113/7/2009-एसटी दिनांक 23 अप्रैल 2009

[13] सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा के लिए नियम पुस्तक 2009 पैरा 4.2 क

अतिरिक्त निर्धारिती[14] द्वारा विवरणी फाइल करने की तारीख से 18 माह के बाद किसी निर्धारिती को मांग नोटिस जारी करने की गुंजाइश नहीं है। यह अनिवार्य है कि विभाग लम्बे लम्बन के कारणों का विश्लेषण करने के लिए कदम उठाये, ताकि सरकार को प्राप्त राजस्व की पर्याप्त रूप से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह आगे पाया गया था कि विस्तृत संवीक्षा हेतु विवरणियों की विशाल संख्या दो वर्षों से अधिक समय से लम्बित थी।

यह भी प्रतीत होता है कि मंत्रालय द्वारा भेजे गए लम्बन का काल वार विश्लेषण का डाटा वि व 14 के लिए सही नहीं है।

1.15 अधिनिर्णय

अधिनिर्णय एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभागीय अधिकारी निर्धारितियों की कर देयता से सम्बन्धित मामले निर्धारित करते हैं। ऐसी प्रक्रिया अन्य बातों के साथ सेनवेट क्रेडिट, मूल्यांकन, प्रतिदाय दावों, अनन्तिम निर्धारण आदि से सम्बन्धित पहलुओं का सोच विचार विकसित कर सकती है। अधिनिर्णय अधिकारी के एक निर्णय को निर्धारित कार्यविधियों के अनुसार अपीलीय फोरम में चुनौती दी जा सकती है।

तालिका 1.12 सेवा कर अधिनिर्णय का कालवार विश्लेषण चित्रित करता है।

तालिका 1.12 विभागीय अधिकारियों के पास अधिनिर्णय हेतु लम्बित मामले

(₹ करोड़ में)

वर्ष	31 मार्च को लम्बित मामलें		1 वर्ष से अधिक लंबित मामलों की संख्या
	सं.	राशि	
वि व 13	22,690	64,599	4,478
वि व 14	19,925	31,790	4,383
वि व 15	33,122	77,463	12,668

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

यह पाया जाता है कि ₹ *77*,463 करोड़ से अधिक राजस्व निहितार्थ वाले निर्णय 31 मार्च 2015 को अन्तिमीकरण को लम्बित थे। इनमें से 12,668 मामलें एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित थे। जबकि वि व 14 की तुलना

[14] 28 मई 2012 से प्रभावी वित्त अधिनियम 2012 द्वारा 1 वर्ष के लिए स्थानापन्न वित्त अधिनियम की धारा 73 (1) में 18 महीने

में वि व 15 में लम्बित न्याय निर्णय मामलों की संख्या 66 प्रतिशत बढ़ी थी, इन मामलों में शामिल राशि 143 प्रतिशत तक बढ़ गई। वि व 14 की तुलना में एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामले वि व 15 में लगभग तिगुने हो गए थे। 'एससीएन और अधिनिर्णय प्रक्रिया के मुद्दे' पर हमारे अवलोकन इस प्रतिवेदन के अध्याय II में विस्तारपूर्वक दिए गए हैं।

1.16 अपील मामलें

निर्णायक प्राधिकरणों के अलावा, विभागीय अपीलीय प्राधिकरणों, न्यायालयों आदि समेत कुछ अन्य प्राधिकरण हैं जहाँ विधि के मुद्दे, व्याख्याओं आदि पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, विभाग भी बहुत सी घटनाओं में, बल पूर्वक वसूली उपायों की सहायता लेता है। महत्वपूर्ण अवधि के लिए बहुत बड़ी राशि भारत की समेकित निधि से बाहर रहती है। सीबीईसी द्वारा प्रस्तुत डाटा के आधार पर, हमने तालिका 1.14 (क) में विभिन्न फोरम पर मामलों के लम्बन को तालिकाबद्ध किया है।

तालिका 1.3 (क): अपील का लम्बन (सीएक्स ओर एसटी)

वर्ष	फोरम	वर्ष के अंत पर लम्बित अपील					
		पार्टी की अपील का विवरण		विभागीय अपील का विवरण		कुल	
		अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)
वित्त 13	सर्वोच्च न्यायालय	760	1,429	1,632	5,743	2,392	7,172
	उच्च न्यायालय	5,631	6,844	5,430	5,527	11,061	12,371
	सेसटैट	35,964	63,278	15,832	12,010	51,796	75,288
	व्यवस्थापन आयोग	70	103	3	0	73	103
	कमिश्नर (अपील)	23,233	7,103	2,965	558	26,198	7,661
	कुल	**65,658**	**78,757**	**25,862**	**23,838**	**91,520**	**1,02,595**
वित्त 14	सर्वोच्च न्यायालय	855	1,835	1,702	6,078	2,557	7,913
	उच्च न्यायालय	5,856	9,359	5,505	6,764	11,361	16,123
	सेसटैट	41,257	90,447	16,685	14,806	57,942	1,05,253
	व्यवस्थापन आयोग	109	230	4	1	113	231
	कमिश्नर (अपील)	23,783	7,054	3,225	669	27,008	7,723
	कुल	**71,860**	**1,08,926**	**27,121**	**28,318**	**98,981**	**1,37,244**
वित्त 15	सर्वोच्च न्यायालय	815	2,202	1,754	6,428	2,569	8,630
	उच्च न्यायालय	5,577	10,206	5,408	9,231	10,985	19,437
	सेसटैट	44,710	1,05,905	16,719	14,240	61,429	1,20,145
	व्यवस्थापन आयोग	155	349	2	1	157	350
	कमिश्नर (अपील)	25,617	6,272	3,676	655	29,293	6,927
	कुल	**76,874**	**1,24,935**	**27,559**	**30,554**	**1,04,433**	**1,55,489**

स्रोतः मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ें

तालिका दर्शाती है कि ₹ 1,55,489 करोड़ के राजस्व वाले मामले अपीलों में लम्बित थे। क्योंकि अपील के लम्बन तक राजस्व की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है ₹ 1,55,489 करोड़ के अवरोध एक चिंता का विषय है।

विशेषकर वि व 15 के लिए सेवा कर के संबंध में अपील के लम्बन के संबंध में मंत्रालय ने डाटा प्रदान किया है। डाटा नीचे तालिकाबद्ध है:

तालिका 1.13 (ख): अपील का लम्बन (एसटी)

वर्ष	फोरम	वर्ष के अंत पर लम्बित अपील					
		दल की अपील का विवरण		विभागीय अपील का विवरण		कुल	
		अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)
वी व 15	सर्वोच्च न्यायालय	179	450	359	1,762	538	2,211
	उच्च न्यायालय	1,837	4,663	877	1,717	2,714	6,380
	सेसटैट	16,245	54,654	5,585	6,762	21,830	61,416
	व्यवस्थापन आयोग	73	214	0	0	73	214
	कमिश्नर (अपील)	15,112	3,373	1,925	357	17,037	3,730
	कुल	**33,446**	**63,354**	**8,746**	**10,597**	**42,192**	**73,951**

स्रोतः मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ें

मंत्रालय ने वि व 13 से वि व 15 के लिए अपील मामलों के निपटान का विवरण प्रदान किया है। डाटा नीचे तालिकाबद्ध हैः

तालिका सं. 1.13 (ग): वर्ष के दौरान निर्धारित मामलों का अलग-अलग विवरण

		अपील विभाग				पार्टी की अपील			
वर्ष	फोरम	विभाग के पक्ष में निर्णय	विभाग के विरूद्ध निर्णय	वापिस गई	सफल अपील का % (वि)	पार्टी के पक्ष में निर्धारित	पार्टी के विरूद्ध निर्धारित	वापिस गई	सफल अपील का % (पा.)
वि व 13	सर्वोच्च न्यायालय	15	75	9	15.15	16	23	7	34.78
	उच्च न्यायालय	102	486	97	14.89	473	1,007	269	27.04
	सेसटैट	346	955	271	22.01	1,805	2,447	1,380	32.05
	कमिश्नर (अपील)	1,162	1,198	139	46.50	6,432	13,221	1,575	30.30
	कुल	**1,625**	**2,714**	**516**	**33.47**	**8,726**	**16,698**	**3,231**	**30.45**
वि व 14	सर्वोच्च न्यायालय	21	82	5	19.44	14	33	3	28.00
	उच्च न्यायालय	193	355	22	33.86	379	1247	223	20.50
	सेसटैट	248	1,407	151	13.73	2,314	2,125	1,574	38.48
	कमिश्नर (अपील)	1,141	1,248	31	47.15	7,064	12,888	697	34.21
	कुल	**1,603**	**3,092**	**209**	**32.69**	**9,771**	**16,293**	**2,497**	**34.21**
वि व 15	सर्वोच्च न्यायालय	24	149	16	12.70	16	52	29	16.49
	उच्च न्यायालय	230	712	130	21.46	447	1397	206	21.80
	सेसटैट	216	1,121	218	13.89	2,255	1,987	1,874	36.87
	कमिश्नर (अपील)	717	869	87	42.86	4,202	9,151	931	29.42
	कुल	**1187**	**2,851**	**451**	**26.44**	**6,920**	**12,587**	**3,040**	**30.69**

स्रोतः मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया है कि अधिनिर्णय आदेश के विरूद्ध विभाग की अपील का सफलता अनुपात विव. 13 में 33.47 प्रतिशत से विव.15 में 26.44 तक घटा है।

विभागीय अपीलों का सफलता अनुपात 43 प्रतिशत के आस-पास है, जब कमिश्नर (अपील) द्वारा निर्धारित किया गया परन्तु विभागेत्तर उच्चतर

फोरमों में, वि व 2015 में इसका विस्तार 13 प्रतिशत से 20 प्रतिशत है। निर्धारितियों द्वारा फाईल की गई अपीलों की सफलता दर विभागेत्तर उच्चतर फोरमों में बेहतर है। कम सफलता दर के कारणों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है तथा सफलता दर को सुधारने के साथ-साथ अपीलों की विचाराधीनता को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करने होंगे।

1.17 वापसी दावों का निपटान

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11बी दावे तथा वापसी के अनुदान के लिए विधिक अधिकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 11 बी बी प्रावधान करती है कि वापसी के आवेदन की तिथि के तीन महीने के अन्दर वापसी राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा यदि यह वापिस नहीं किया गया है।

तालिका 1.13 (क) विभाग द्वारा वापसी दावों के निपटान की स्थिति दर्शाती है। दर्शाई गई देर, वापसी आवेदन, सभी विवरणों के साथ, की प्राप्ति की तिथि से दावों के प्रक्रमण के लिए आवश्यक समय के रूप में है।

तालिका 1.14 (क) : सेवा कर में वापसी दावों का निपटान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ओबी जमा वर्ष के दौरान प्राप्त दावें	वर्ष के दौरान निपदाए गए दावसें की संख्या				ब्याज भुगतान	
		निपटानों की कुल संख्या	3 महीनों के अन्दर तथा निपटानों का प्रतिशत	देरी के साथ निपटाए गए दावे			
				< 1 वर्ष	> 1 वर्ष	मामलों की संख्या	दिया गया ब्याज
वि व13	26,672	15,897	12,328 (77%)	1,880 (12%)	1,689 (11%)	1	0.12
वि व14	23,145	13,979	11,445 (81.87%)	1,494 (10.69%)	1,040 (7.44%)	0	0
वि व 15	*	13,381	*	*	*	14	5.58

स्रोत: मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकडे

*मंत्रालय ने वि व 15 के लिए डाटा प्रदान नहीं किया।

यह देखा गया है कि सेवा कर से संबंधित लगभग 80 प्रतिशत वापसी दावा निपटान 3 महीने[15] की निर्धारित अवधि के अन्दर किया गया। इस तथ्य के

[15] वित्त अधिनियम 1994 (के रूप में संशोधित) की धारा 83 द्वारा सेवा कर के लिए लागू किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुलक अधिनियम की धारा 11 बीबी

बावजूद कि देरी से वापसी पर ब्याज का भुगतान विभाग पर एक उत्तर दायित्व है, विभाग अधिकांश मामलों में निर्धारितियों को ब्याज का भुगतान नहीं कर रही है। बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देरी से वापसी पर ब्याज के भुगतान से संबधित प्रावधान सही में कार्यान्वित हो।

क्योंकि मंत्रालय ने प्राप्त मामलों तथा वि व 15 के दौरान मामलों के निपटान के गोलमाल का डाटा प्रस्तुत नहीं किया था, वह विश्लेषित नहीं किया जा सकता है।

तालिका 1.13(बी) पिछले तीन वर्षों के दौरान वापसी दावों के लम्बित होने का वर्षवार विश्लेषण दर्शाती है।

तालिका 1.14(बी): 31 मार्च को सेवा कर प्रतिदाय मामलों का वर्षवार लम्बन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ओबी जमा वर्ष के दौरान प्राप्त दावें	31 मार्च को लम्बित वापसी दावों की कुल संख्या		लंवित वापसी दावे			
				1 वर्ष से कम के लिए		1 वर्ष से अधिक	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वि व 13	23,803	7,906	41,874	5,824	30,018	2,082	11,856
वि व 14	23,145	8,154	4,487	6,391	3,582	1,763	905
वि व 15	*	13,913	8,390	10,848	5,642	3,065	2,747

स्रोत: आंकडे मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत। * मंत्रालय ने वि व 15 के लिए डाटा प्रदान नहीं किया।

यह देखा गया है कि जब कि मामलों की संख्या बढ रही है, शामिल राशि वि व13 की तुलना में काफी कम हो गया है, यद्यपि यह वि व14 की तुलना में बढ गई है।

हमारे बार-बार याद दिलाने के बावजूद वि व 15 के लिए मंत्रालय द्वारा पूर्ण डाटा प्रदान नहीं किया गया है।

1.18 संग्रहण की कीमत

तालिका 1.15 राजस्व संग्रहण की तुलना में संग्रहण की लागत दर्शाती है।

तालिका 1.15 :केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर प्राप्तियां तथा संग्रहण की कीमत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सेवा कर से प्राप्तियां	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	संग्रहण की कीमत	कुल प्राप्तियों के प्रतिशत रूप में संग्रहण की कीमत
वि व 11	71,016	1,37,901	2,08,917	2,072	0.99
वि व 12	97,356	1,44,540	2,41,896	2,227	0.92
वि व 13	1,32,601	1,75,845	3,08,446	2,439	0.79
वि व 14	1,54,780	1,69,455	3,24,235	2,635	0.81
वि व 15	1,67,969	1,89,038	3,57,007	2,950	0.83

स्रोत: संबंधित वर्षों का केन्द्रीय वित्त लेखा

यह देखा गया है कि स्वचालन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग के बावजूद संग्रहण की कीमत ने वि व 13 के बाद से एक बढती प्रवृति दिखाना शुरू कर दिया।

1.19 आंतरिक लेखापरीक्षा

भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन का आधुनिकीकरण केनेडियन आदर्श पर आधारित है। नई लेखापरीक्षा प्रणाली ईए 2000 की चार विशिष्ट विशेषताएं है: जोखिम विश्लेषण के बाद वैज्ञानिक चयन, पूर्व तैयारी पर बल, वैधानिक अभिलेखों के सम्मुख व्यवसायिक अभिलेखों की बारीकी से जांच तथा लेखापरीक्षा बिन्दुओं की निगरानी।

लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में आरंभिक समीक्षा, प्रणालियों की सूचना एकत्रित एवं दस्तावेजीकरण करना, आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन, राजस्व तथा प्रवृत्तियों के लिए जोखिम विश्लेषण, लेखापरीक्षा योजना विकसित करना, लेखापरीक्षा निष्कर्ष की तैयारी, निर्धारिती/रेंज अधिकारी/प्रभागीय सहायक आयुक्त के साथ परिणामों की समीक्षा करना तथा रिपोर्ट को अंतिम रूप देना शामिल है।

लेखापरीक्षा ढांचे के तीन भाग है। लेखापरीक्षा महानिदेशालय तथा क्षेत्रीय कमिश्नरियां लेखापरीक्षा के प्रशासन के उत्तर दायित्व का सहभाजन करती है। जबकि निदेशालय संग्रहण, संकल्प तथा लेखापरीक्षा परिणामों के विश्लेषण

तथा कर अनुपालन में सुधार तथा ग्राहक संतुष्टि के स्तरों को नापने के लिए सीबीईसी को इसकी प्रतिपुष्टि के लिए उत्तर दायी है, कमीश्नरियों से लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा का उत्तर दायित्व गुणवत्ता में सुधार के लिए,सीबीईसी, लेखापरीक्षा नियम पुस्तक जोखिम प्रबंधन नियम पुस्तक तथा ईए 2000 तथा सीएएटीज में लेखापरीक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए नियम पुस्तकों जो लेखापरीक्षा को आयोजित करने के लिए प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन करती है के विकास के लिए एशियन विकास बैंक की सहायता ली। तालिका 1.16(क) लेखापरीक्षा दलो द्वारा वि व 15 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए बकाया सेवा कर इकाईयों को दर्शाती है।

तालिका 1.16 (क) : वि व 15 के दौरान आयोजित निर्धारितियों की लेखापरीक्षाएं

वार्षिक शुल्क का स्लैब (पीएलए +सैनवैट)	आवधिकता	बकाया इकाईयों की संख्या	नियोजित इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षित ईकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षा में कमी (%)	वि व14[16] में लेखापरीक्षा में कमी (%)
सेवा कर भुगतान करने वाली इकाईयं>₹ 3 करोड़ (वर्ग क)	वाषिक	5,702	5,702	2,183	61.72	46.71
₹ 1 तथा 3 करोड़ के बीच सेवा कर भुगतानकरने वाली इकईयां (वर्ग ख)	द्विवार्षिक	4,695	4,695	1,321	71.86	51.07
₹ 25 लाख और ₹ 1 करोड़ के बीच सेवा कर भुगतान करने वाली इकाईयां (वर्ग ग)	पांच वर्षो में एक बार	6,710	6,710	1,340	80.03	49.19
सेवा कर भुगतान करने वाली इकाईयां <₹ 25 लाख (वर्ग घ)	प्रत्येक वर्ष 2 %	14,088	14,088	2,860	79.70	49.20

स्रोतः आंकडे मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत ।

यह देखा गया है कि वि व 15 के दौरान केवल इकाईयों के सभी वर्गो में आयोजित सेवा कर लेखापरीक्षा में एक विशाल कमी थी, परन्तु कमी वि व 14 की तुलना में मजबूती से बढी।

[16] 2015 की सीएंडएजी रिपोर्ट संख्या 4 (अप्रत्यक्ष कर –सेवा कर) की तालिका 1.15 (क) में अभिलेखित

विभाग द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा का परिणाम तालिका 1.16(ख) में सारणीबद्ध है।

तालिका 1.16 (ख): वर्ष के दौरान आपत्तिकृत तथा वसूली गई राशि

(₹ करोड़ में)

वार्षिक शुल्क का स्लैब (पीएलए + सैनवैट)	पता लगाई गई कम उदग्रहण की राशि	कुल वसूली की राशि
वर्ग क	4,695	1,025
वर्ग ख	1,457	255
वर्ग ग	513	190
वर्ग घ	253	121
कुल	6,918	1,591

स्रोतः आंकडे मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत

यह देखा गया है कि वर्ग 'क' इकाईयों में पता लगाई गई कम उद्ग्रहण तथा वसूली गई राशि गैर अधिदेशी इकाईयों से उल्लेखनीय ढंग से उच्चतर है। मंत्रालय को सभी वर्ग 'क' (अधिदेशी) इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

1.20 विभागीय प्रयासों के कारण राजस्व संग्रहण

कर दाताओं द्वारा सेवा कर के ऐच्छिक भुगतान के अतिरिक्त, विभिन्न तरीके है जिसके द्वारा विभाग देय परन्तु करदाताओं द्वारा भुगतान नहीं किए गए राजस्व का संग्रहण करता है। इन तरीकों में विवरणी की संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, अपवंचन रोधी, अधिनिर्णय इत्यादि शामिल है।

विभागीय प्रयासों का परिणाम तालिका 1.17 में सारणीबद्ध है।

तालिका 1.17 : विभागीय प्रयासों से वसूला गया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभागीय कार्रवाई	वि व 14 के दौरान वसूली	वि व 15 के दौरान वसूली
1	आंतरिक लेखापरीक्षा	1760.29	632.15
2	अपवंचन-रोधी	2865.53	2765.57
3	पुष्टिकृत मांगे	454.06	437.10
4	पूर्व जमा	213.42	352.94
5	विवरणी की संविक्षा	188.66	139.04
6	चूककर्ता से वसूली	619.48	735.09
7	अनन्तिम निर्धारण	6.85	8.37
8	वीसीइएस	3301.73	2741.94
9	आईटीआर/टीडीएस	58.00	306.30
10	अन्य	65.68	196.38
	कुल	**9533.70**	**8314.88**

स्रोत: आंकडे मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत

वि व 15 के दौरान कुल सेवा कर संग्रहण ₹ 1,67,969 करोड़ था जिसमें से विभागीय प्रयासों के कारण केवल ₹ 8314.88 करोड़ संग्रहित हुआ है। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि तालिका 1.17 में आंतरिक लेखापरीक्षा तथा अपवंचन रोधी के अन्तर्गत दर्शाया गया राजस्व संग्रहण क्रमश: तालिका 1.16 तथा 1.9 में दर्शायी राशि के साथ मेल नहीं खाता है। वास्तव में, तालिका 1.17 में प्रतिबिंबित वसूली तालिका 1.16 तथा 1.9 में अभिलेखित हाजिर वसूलियों की तुलना में कहीं कम है। मंत्रालय को इस डाटा को जांचने की आवश्यकता है।

1.21 मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत डाटा में डाटा का अप्रस्तुतिकरण तथा असंगति

मंत्रालय वि व 15 के लिए वापसी मामलों के निपटान तथा विवरणी की विस्तृत संवीक्षा से संबंधित डाटा प्रदान नहीं कर सकता क्योंकि नवम्बर 2014 से डाटा का प्रारूप तथा डाटा के निर्वाह का उत्तर दायित्व संशोधित हो गया था। यह दर्शाता है कि महत्वपूर्ण डाटा के निर्वाह की निरन्तरता सीबीइसी में प्रबंधन परिवर्तन के दौरान सुनिश्चित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, सीबीईसी ने विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटरों जैसे विवरणी की संवीक्षा, वापसी बकाया वसूली, आंतरिक लेखापरीक्षा इत्यादि से संबंधित डाटा प्रदान किया था।

यद्यपि, पंजीकृत निर्धारितियां, विवरणियों की प्रारंभिक संवीक्षा तथा बकाया वसूली[17] के संबंध में हमने देखा कि प्रस्तुत डाटा, 2015 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 4 के लिए प्रदान की गई सूचना के साथ मेल नहीं खाता सेवा कर के संबंध में डाटा निर्वाह की गुणवत्ता में सुधार की अविलंब आवश्यकता है।

1.22 लेखापरीक्षा प्रयास तथा सेवा कर लेखापरीक्षा उत्पाद अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अनुपालन लेखापरीक्षा का नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन प्रारूप 2014, जो लेखापरीक्षण मानक, दूसरा संस्करण, 2002 के व्यवसायिक लेखापरीक्षण मानकों को प्रयोग करता है, के अनुसार प्रबंधन किया जाता है।

1.23 सूचना के स्रोत तथा परामर्श की प्रक्रिया

संघ वित्त लेखा से डाटा, डीओआर, सीबीईसी, तथा उनकी क्षेत्र संरचनाओं में मूलभूत रिकार्ड/दस्तावेजो के साथ, सीबीईसी के एमआईएस तथा एमटीआरज अन्य पणधारी रिपोर्ट के साथ प्रयुक्त हुए थे। हमारे पास लेखापरीक्षा के महानिदेशकों (डीजी)/प्रधान निदेशकों (पीडी) की अध्यक्षता में नौ क्षेत्र कार्यालय है जिन्होंने वि व 15 में 781 इकाईयों (सीएक्स तथा एसटी) की लेखापरीक्षा का प्रबंधन किया था।

1.24 रिपोर्ट का विहंगावलोकन

वतर्मान रिपोर्ट में ₹ 386.35 करोड़ के वित्तीय अनुमान वाले 166 पैराग्राफ है। सामान्यतया निरीक्षण के तीन प्रकार होते थे: सेवा कर का गैर भुगतान , सेवा कर का कम भुगतान, सैनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ तथा उपयोग इत्यादि। विभाग/मंत्रालय ने परिशोधित कार्रवाई, जिसमें कारण बताओं नोटिस के जारी होने के रूप में 162 पैराग्राफ के मामले में ₹ 373.58 करोड़ की राशि मूल्य, कारण बताओं नोटिस का अधिनिर्णयन तथा ₹ 53.77 करोड़ की अभिलेखित वसूली शामिल है, पहले ही कर ली है।

---

[17] तालिका 1.6, 1.8 तथा 1.10

1.25 सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा रिपोर्टों का राजस्व प्रभाव/पूरा करने की कार्रवाई

पिछली पांच लेखापरीक्षा रिपोर्टों में (वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट शामिल) हमने ₹ 2129.15 करोड़ के वित्तीय अनुमान वाले 846 लेखापरीक्षा पैराग्राफों (तालिका 1.17) को शामिल किया था।

तालिका1.17 : लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच करना

(₹ करोड़ में)

वर्ष			वि व11	वि व12	वि व13	वि व14	वि व 15	कुल
शामिल पैराग्राफ		संख्या	199	152	151	178	166	**846**
		राशि	204.74	500.23	265.75	772.08	386.35	**2129.15**
स्वीकृत पैराग्राफ	मुद्रण पूर्व	संख्या	184	150	147	171	162	**814**
		राशि	185.69	498.65	262.29	477.22	373.58	**1797.43**
	मुद्रण के बाद	संख्या	11	1	4	--	--	**16**
		राशि	17.79	0.52	1.81	--	--	**20.12**
	कुल	संख्या	195	151	151	171	162	**830**
		राशि	203.48	499.17	264.1	477.22	373.58	**1817.55**
प्रभावित वसूली	मुद्रण पूर्व	संख्या	122	88	95	92	109	**506**
		राशि	78.76	84.58	65.28	130.29	53.77	**412.68**
	मुद्रण के बाद	संख्या	9	4	9	9	--	**31**
		राशि	2.24	0.85	2.07	33.80	--	**38.96**
	कुल	संख्या	131	92	104	101	109	**537**
		राशि	81	85.43	67.35	164.09	53.77	**451.64**

स्रोत: सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

यह देखा गया है कि ₹ 1817.55 करोड़ के वित्तीय अनुमान वाले 830 लेखापरीक्षा पैराग्राफों को मंत्रालय ने स्वीकृत किया था तथा ₹ 451.64 करोड़ वसूल किए थे।